भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1705

जिसका उत्तर गुरुवार, 5 मार्च, 2020 को दिया जाना है

दूरस्थ शिक्षा माध्यम से विधिक शिक्षा

1705. श्री ए. विजयकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विधिक शिक्षा में स्नातक और परा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का कोई माध्यम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में विधिक शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या-क्या पहल की गई है ;

(घ) क्या कई वकीलों ने अब तक अखिल भारतीय बार परीक्षा पास नहीं की है और न्यायालयों में अपनी वकालत जारी रखे हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) एलएल.बी. (स्नातक) पाठ्यक्रम को विनियमित करती है तथा इस समय विधि से संबंधित किसी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम को विनियमित नहीं करती है । तथापि, कतिपय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जैसे - साईबर डिप्लोमा, आईपीआर डिप्लोमा आदि के लिए कतिपय विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है । एलएल.बी. पाठ्यक्रम को केवल नियमित पद्धति के

माध्यम से न कि किसी अन्य खुला या दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से मान्यता दी गई है । वर्तमान में, भारतीय विधिज्ञ परिषद् एलएल.एम. नियमित पाठ्यक्रम के लिए नियम, विनियम तथा दिशा निर्देश को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है तथा प्रारूप नियम, चर्चा तथा विचार-विमर्श के स्तर पर हैं । भारतीय विधिज्ञ परिषद् एलएल.एम. को खुला और दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से समुचित रूप से अनुसारित किया जा सकता है या नहीं, मुद्दे पर विचार कर रही है ।

(ग) : देश में विधिक शिक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा निम्नलिखित पहल किए गए हैं :-

(i) पाठ्यक्रम और अन्य प्ररूप देश के विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श में केवल विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिकथित किए जाते हैं ।

(ii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् मानदंडों को अधिकथित करता है ; पाठ्यक्रमों को विनिश्चित करती है ; कक्षा में अध्ययन को कम से कम सत्तर प्रतिशत उपस्थिति को आज्ञापक बनाने का उपबंध किया है किंतु उनको क्रियान्वित करने का तत्काल उत्तरदायित्व विश्वद्यालयों के साथ होती है ।

(iii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने ऐसे सभी महाविद्यालयों को अगले वर्ष तथा संस्थानों को बंद करने का विनिश्चय किया है, यदि वे अध्यापक गण की रिक्तियों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(iv) यदि आकस्मिक दौरे के कारण कोई संस्थान समुचित अवसंरचना, संकाय की कमी होना, विद्यार्थियों के लिए कोई नियमित कक्षा न होना पाया जाता है, तब ऐसे संस्थान के संबंधन के अनुमोदन को अगले शैक्षणिक सत्र से वापस ले लिया जाएगा । कुलपतियों, उपकुलपतियों और अधिष्ठाताओं से इस गंभीर मामले को देखने के लिए अनुरोध किया गया है तथा उनके संबंधन को रद्द करने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं ।

(v) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह सुनिश्चित करने के लिए विधिक शिक्षा के सभी केंद्रों से पूछने के लिए एक परिपत्र जारी किया है कि विद्यार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

(vi) भारतीय विधिज्ञ परिषद् का विधिक शिक्षा नियम विभिन्न उच्च न्यायालय के माननीय आसीन न्यायाधीश, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों सहित विधि प्राध्यापकों तथा विभिन्न विधिक प्रकाण्ड विद्वानों की सहायता और सलाह के साथ संशोधित किए जाने की प्रक्रिया में है तथा इसे इनमें उनकी राय और सुझावों के लिए सभी विश्वविद्यालयों तथा राज्य विधिक परिषदों के मध्य प्रचालन के लिए भेज दिया गया है ।

(vii) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने विधिक शिक्षा के मानकों में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालयों राज्य सरकारों के उच्चतर शिक्षा विभागों/संस्थानों को समय-समय पर परिपत्र भी जारी किए हैं ।

(घ) और (ङ) : कोई व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् में नामनिर्देशन के पश्चात् भारत में व्यवसाय कर सकता है । अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा (एआईबीई) ऐसे सभी अधिवक्ताओं के लिए आज्ञापक है जिन्होंने वर्ष 2009-10 के शैक्षणिक सत्र से एलएल.बी. (स्नातक) उत्तीर्ण किया है । यह ऐसे अधिवक्ताओं पर लागू नहीं है जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 के पूर्व विधि में स्नातक किया है । भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने पूर्व में ही तारीख 12 जनवरी, 2019 को एक संकल्प पारित किया है तथा यह संकल्प किया है कि ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने अपने नामनिर्देशन के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के भीतर अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा नहीं उत्तीर्ण की है वे किसी न्यायालय में व्यवसाय करने के लिए हकदार नहीं होंगे जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, अधिकरण तथा उपभोक्ता फोरम भी है । अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा-I से अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा-XIV तक अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल अधिवक्ताओं की संख्या 4,72,944 है जिसमें से 3,70,685 ने उक्त अखिल भारतीय विधिज्ञ परीक्षा को उत्तीर्ण किया है ।

****